



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269064
CG-DL-E-02012026-269064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 03]
No. 03]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2026/पौष 12, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2026/PAUSHA 12, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियमन, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.134.— भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 47ख में उप-विनियमन (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) समापक प्ररूपों को, बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा-अधिसूचित उनके संलग्नकों सहित, प्रत्येक प्ररूप के लिए नियत समयसारणी के अनुसार बोर्ड के इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर फाइल करेगा।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./580/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 675, तारीख 14 अक्तूबर, 2025 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.129, तारीख 14 अक्तूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG134.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, in regulation 47B, for clause (1) the following shall be substituted, namely:-

“(1) The liquidator shall file the Forms, along with enclosures thereto, as notified by Board, from time to time, on an electronic platform of the Board, as per the timelines stipulated for each form.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Ext./580/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2025 vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG129 dated the 14th October, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 675 on 14th October, 2025.